

आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता

1. योजना का उद्देश्य:—

राजस्थान राज्य के प्रतिभावान जनजाति छात्रों को, जो राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, उन्हें प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने हेतु प्रेरित करना।

2. नाम एवं प्रभावित क्षेत्र

- योजना का नाम जनजाति छात्र को बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण जनजाति प्रतिभावान छात्र को आर्थिक सहायता होगा।
- योजना सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में लागू होगी।

3. परिभाषाएँ:—

- राज्य सरकार से तात्पर्य राजस्थान सरकार से है।
- विभाग से तात्पर्य जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, राजस्थान से है।
- आयुक्त से तात्पर्य आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर से है।
- सामान्य शिक्षा से तात्पर्य कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में स्नातक शिक्षा हेतु अध्ययन से है।
- राजस्थान का मूल निवासी हो।

4. योजना के अन्तर्गत देय लाभ (नकद राशि) — बोर्ड कक्षाओं एवं विश्वविद्यालय में जो छात्र प्रथम श्रेणी से 60 प्रतिशत से उत्तीर्ण होते हैं उन्हें 350/- प्रतिमाह की दर से 10 माह तक प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जावेगा।

5. पात्रता :— छात्र द्वारा पात्रता की निम्न शर्तों की पूर्ति करने पर योजना का लाभ देय होगा:—

- दसवीं बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त करने वाले छात्रों को ग्यारवी कक्षा एवं बाहरवी कक्षा में अध्ययनरत ऐसे छात्र को 11वी कक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों तो बारहवी कक्षा में अध्ययन के दौरान राशि देय होगी।
- बारहवी की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण करने वाले छात्र को ग्रेज्युएशन के दौरान छात्र के प्रथम वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर ही द्वितीय वर्ष में प्रोत्साहन राशि देय होगी। इस प्रकार द्वितीय वर्ष की परीक्षा में कम से कम 48 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ही तृतीय वर्ष में राशि देय होगी।
- स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययन के दौरान भी उक्त शर्तें लागू रहेगी।
- छात्र राजस्थान के अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित होना चाहिए।
- छात्र के माता पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो।
- छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो।

- योजना हेतु आवेदनकर्ता छात्रा के बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् आगे निरन्तर अध्ययन में अन्तराल (गेप) नहीं होना चाहिए।
- जो छात्र राजकीय छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं। उन्हें उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा।
- वैद्य भामाशाह कार्ड एव आधार कार्ड होना चाहिए।

6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज:-

- छात्रा के माता-पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकरदाता नहीं होने बाबत निर्धारित प्रारूप में स्वयं आय घोषणा-पत्र सक्षम स्तर से प्रमाणित हो।
- कक्षा 10/12 वी व अन्तिम उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका।

7. आवेदन प्रक्रिया -

- प्रतिभावान जनजाति छात्र द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र ऑनलाईन भरकर भामाशाह कार्ड के साथ विभाग द्वारा निर्धारित तिथि तक पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आवेदन पत्र विभाग की वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in के Home page पर ONLINE PORTAL FOR TAD EDUCATIONAL INCENTIVE SCHEMES लिंक पर ऑनलाईन भरे जा सकते हैं। ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विस्तृत विवरण व दिशा-निर्देश विभागीय वेबसाईट www.tad.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है।
- छात्र वर्तमान में जहाँ कक्षा 11 वी व स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं, उन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रों की गहन जाँचकर प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकृतकर्ता अधिकारियों (परियोजना अधिकारी, टीएडी/परियोजना अधिकारी, सहरिया/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद) को भिजवाया जाएगा।
- स्वीकृतकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त परिपूर्ण आवेदन पत्रों की ऑनलाईन स्वीकृति जारी की जाएगी। अपूर्ण आवेदन पत्र को (यदि कोई हो तो) शिक्षण संस्थाओं/ विद्यार्थियों को प्रतिप्रेषित (पुनः फारवर्ड) किया जाएगा।

8. भुगतान प्रक्रिया :-

- स्वीकृतशुदा समस्त आवेदन पत्रों को जिला कार्यालय द्वारा जाँच उपरान्त सम्बन्धित जिले के ट्रेजरी में भुगतान हेतु प्रेषित किया जाएगा।
- पारितशुदा बिलों की राशि ट्रेजरी द्वारा विद्यार्थियों/विद्यार्थियों के परिवार के भामाशाह कार्ड में अंकित बैंक खातों में हस्तान्तरित की जाएगी।


 आयुक्त